न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/86

1. लक्ष्मण आत्मज श्री खेमा जी जाति माली निवासी ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा जिल कोटा ।
2. लालचन्द
3. किशन पिसरान खेमा जी जाति माली निवीस पोल्ट्री फार्म के पास तहसील लाडपुर जिला कोटा ।
4. रामजानकी पुत्री खेमा जी धर्मपत्नी श्री चतुर्भुज जी जाति माली निवासी रामचन्द्रपु गोयल धर्मशाला के सामने, कोटा ।
5. जमुना बाई पुत्री खेमा जी पत्नी स्व0 रामलाल जी जाति माली निवासी ग्राम जैथ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. रतन बाई पुत्री खेमा जी पत्नी श्री गिरधारी लाल जी जाति माली निवासी कुम्हारों व मोहल्ला नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. ग्यारसी बाई पुत्री खेमा जी धर्मपत्नी भैरूलाल जी जाति माली निवासी कुम्हारों व मोहल्ला नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. भैरी बाई पुत्री खेमा जी धर्मपत्नी रामकिशन जी जाति माली निवासी कुम्हारों का मोहल्ल माताजी के मंदिर के पास नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीला

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज गोपीलाल जाति माली निवासी ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोट
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोड

उपस्थित :– 1. श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.08.20

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्याय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि वादी ने खेमा आत्मज श्री भूरा जी से उनके खाते की गत खसरा नम्बर 335 की 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय्र पत्र से दिनांक 03.08.1980 को कय की थी परन्तु उक्त भूमि खेमा के वारिसान के खाते दर्ज चली आ रही है । वादी ने प्रतिवादीगण से तहसील में चल कर उक्त भूमि को वादी के खाते दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने आना– कानी की इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा की बाद सेललमेंट खसरा नम्बर 843 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाई जावे तथा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी हस्तान्तरित न करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

4. तत्पश्चात् दिनांक 07.09.2017 को पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित राजीनामा पेश किया और राजीनामे अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2017 के द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अस्वीकार कर खारिज करते हुए पत्रावली वास्ते जिरह आगामी तारीख पेशी नियत कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बाबवजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलान्ट के खिलाफ पेश किया था । पत्रावली में पक्षकारों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामें को स्वीकार नहीं किया जो विधि – विरूद्ध है, न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा स्वीकार कर निर्णय पारित करना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी जिसके पूर्व खसरा नम्बर 335 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा थे को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.1980 को क्रय किया है । अतः इस आराजी का उन्हें खातेदार कृषक घोषित किया जावे । इसके उपरान्त एक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ इस राजीनामे पर वादी प्रभूलाल और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी क्रम 1 लक्ष्मण, प्रतिवादी क्रम 2 लालचन्द, प्रतिवादी क्रम 3 किशन के हस्ताक्षर हैं । शेष प्रतिवादीगण क्रल 4 लगायत 8 के हस्ताक्षर नहीं हैं । इस प्रकार राजीनामा समस्त पक्षकारान के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है । इस राजीनामे में पक्षकारान के द्वारा यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 और प्रतिवादी को 1/2 का सहखातेदार घोषित किया जावे ।

10. प्रथम तो यह राजीनामा समस्त पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होने से विधि मान्य नहीं है और द्वितीय इसमें बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में देने की प्रार्थना की है । यदि वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है तो बिना विधिक दस्तावेज प्रतिवादीगण को इसमें 1/2 हिस्सा नहीं दिया जा सकता । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से राजीनामे को अस्वीकार किया है और पत्रावली गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हु अग्रिम कार्यवाही में तारीख पेशी नियत की गई है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा